न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, रानी, जिला–पाली

- पीठासीन अधिकारी :– रोज़ी कंसारा (आर.जे.एस.)
- नियमित आपराधिक प्रकरण संख्या :– 267/2020
- रजिस्ट्रेशन दिनांक :– 06.09.2014
- सीएनआर नं. :– RJPL270000512020

राजस्थान राज्य

– अभियोगी

ब ना म

मोहम्मद यासीन पुत्र उस्मानजी, निवासी छीपों का बास, थाने के पास, सादड़ी।

– अभियुक्त

अपराध अंतर्गत धारा 279, 337, 304ए भा.द.स.

उपस्थित :

01. सहायक अभियोजन अधिकारी, राज्य पक्ष की ओर से।

02. श्री भवानी सिंह राजपुरोहित अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त की ओर से।

::—निर्णय—::

दिनांक:–19.07.2025

01. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी प्रकाशचंद्र ने उपस्थित थाना होकर एक हस्तलिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 20.08.2014 को दोपहर के समय उसके पिताजी देवीलाल व माता लालकी रामदेवरा से नाडोल की तरफ मोटरसाइकिल हिरो स्पलेंडर नंबर आरजे 35 एसई 4347 लेकर आ रहे थे। उसके काका लड़का अमेश व उसकी पत्नी ननता मोटरसाइकिल के साथ थे। अणसी मंदिर नाडोल के पास पहुंचे सड़क के किनारे अपनी दिशा में रुके हुए थे। उसका भाई अमेरा उसके पिताजी से थोड़ा पीछे मोटरसाइकिल रोककर खड़ा था, तो पीछे से एक जीप वाला तेज गति से लापरवाही से जीप चलाता हुआ आया, जिसने अमेरा को ओवरटेक कर उसके पिताजी की मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मारी, जिससे उसके माता–पिता नीचे गिर गए व मोटरसाइकिल पीछे से टूट गई। उसके माता–पिता के बदन पर काफी चोटें आईं।

जीप के नंबर आरजे 22 यू 0216 थे, जिसके चालक ने जीप रोकी व उसके माता–पिता को जीप में डालकर सादडी अस्पताल ले गया, उसका भाई अमेरा व भाभी ननता भी साथ गए, जहां से उपचार के बाद उसके पिता व माता को उदयपुर लाकर सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसे सूचना मिलने पर वह तथा उसके परिवार वाले अस्पताल पहुंच गए। जीप चालक उसके पिताजी को उदयपुर साथ आया था। उसके चालक का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम यासीन पुत्र उस्मान बताया। यासीन ने ही तेज गति व लापरवाही पूर्वक जीप चलाकर उसके माता–पिता को टक्कर मारी, जिससे उनके चोटें आई हैं। उसकी माता–पिता उदयपुर अस्पताल में भर्ती हैं..........इत्यादि।

02. उक्त रिपोर्ट पर थानाधिकारी, पुलिस थाना रानी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 175/2014 अंतर्गत धारा 279, 337 भारतीय दण्ड संहिता में पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया तथा बाद अनुसंधान अभियुक्त मोहम्मद यासीन के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 279, 337, 304ए भारतीय दण्ड संहिता में आरोप–पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। अभियुक्त मोहम्मद यासीन के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 279, 337, 304ए भारतीय दण्ड संहिता में प्रथम दृष्टया मामला बनना पाया जाने से अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 06.09.2014 को प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर नियमित फौजदारी किया गया।

03. प्रकरण में दिनांक 01.09.2016 को अभियुक्त मोहम्मद यासीन को अपराध अन्तर्गत धारा 279, 337, 304ए भा.दं.सं. का आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त मोहम्मद यासीन ने आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

04. साक्ष्य अभियोजन में अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह पीडब्ल्यू 01–बाबु मोहम्मद, पीडब्ल्यू–02 फिरोज मोहम्मद, पीडब्ल्यू–03 डॉ. अविनाश चारण, पीडब्ल्यू–04 मेहबूब, पीडब्ल्यू–05 प्रकाश, पीडब्ल्यू–06 हमेरा, पीडब्ल्यू–07 नारायणलाल, पीडब्ल्यू–08 मोतीलाल, पीडब्ल्यू–09 लालकी देवी, पीडब्ल्यू–10 ननता को परीक्षित करवाया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी–01 फर्द जब्ती जीप महिंद्रा, प्रदर्श पी–02 धारा 133 एमवी एक्ट नोटिस, प्रदर्श पी–03 चोट प्रतिवेदन लालकी, प्रदर्श पी–04 चोट प्रतिवेदन देवीलाल, प्रदर्श पी–05 हस्तलिखित रिपोर्ट, प्रदर्श पी–06 नक्शा मौका, प्रदर्श पी–07 फर्द निरीक्षण मोटरसाइकिल, प्रदर्श पी–08 फर्द सूरतहाल लाश देवीलाल, प्रदर्श पी–09 लाश पंचनामा देवीलाल, प्रदर्श पी–10 फर्द सुपुर्दगी लाश, प्रदर्श पी–11 पुलिस बयान हमेरा, प्रदर्श पी–11 पोस्टमार्टम नहीं कराने बाबत् प्रार्थना–पत्र, प्रदर्श पी–12 फर्द सुपुर्दगी मोटरसाइकिल, प्रदर्श पी–13 पुलिस बयान लालकी, प्रदर्श पी–14 पुलिस बयान

ननता प्रदर्शित करवाए गए। तत्पश्चात् साक्ष्य अभियोजन समाप्त की गयी।

05. अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता पृथक् से किया गया। जिस पर अभियुक्त ने अभियोजन पक्ष के साक्षी के कथनों को गलत होना बताकर स्वयं को निर्दोष होना बताया तथा साक्ष्य सफाई पेश नहीं करनी चाही।

06. बहस अन्तिम उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि :–

> **"क्या अभियुक्त ने दिनांक 20.08.2014 को दोपहर के किसी समय मौजा अणसी मंदिर नाडोल के पास जीप नं. आरजे 22 यू 0216 को तेज गति व लापरवाही से चलाकर सड़क की सही दिशा में खड़े प्रार्थी के पिता व माता को टक्कर मारकर मानव जीवन संकटापित कर उन्हें उपहतियां कारित कीं, जिसके फलस्वरूप प्रार्थी के पिता देवीलाल की मृत्यु कारित हुई?"**

यदि हाँ, तो अभियुक्त किस दण्ड के पात्र हैं ?

07. दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क रहा है कि प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाहों द्वारा अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में पत्रावली पर आई साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्व आरोपित अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में अभियोजन पक्ष असफल रहा है इसलिये अभियुक्त को आरोपित अपराध से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किये जाने की प्रार्थना की।

08. सहायक अभियोजन अधिकारी ने अधिवक्ता अभियुक्त के तर्कों का विरोध करते हुये निवेदन किया है कि पत्रावली पर आई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्व किया जावें।

09. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाह **पी.डब्ल्यु 01 बाबु मोहम्मद** ने अपने मुख्य परीक्षा में साक्ष्य दी है कि कितने साल पहले की घटना है, उसे कुछ मालूम नहीं है। उसके तो केवल हस्ताक्षर करवाए थे। सहायक अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया। सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई जिरह में गवाह ने कथन किया कि फर्द जब्ती प्रदर्श पी–01 जीप महिंद्रा आरजे 22 यू 0216 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। उसके हस्ताक्षर पुलिस ने करवाए थे। हस्ताक्षर चौकी में करवाए थे। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में गवाह ने कथन किया कि प्रदर्श पी–01 में पुलिस ने क्या लिखापढ़ी की, उसे ध्यान नहीं है, न तो उसने रिपोर्ट पढ़ी थी और न पुलिस ने पढ़कर सुनाई थी। उसने तो केवल पुलिस वालों के कहने पर हस्ताक्षर किए थे।

10. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाह **पी.डब्ल्यु 02 फिरोज मोहम्मद** ने अपने मुख्य परीक्षा में साक्ष्य दी है कि वह जीप संख्या आरजे 22 यू 0216 का रजिस्टर्ड स्वामी है। उसकी गाड़ी ड्राइवर चलाते हैं। कितने साल पहले की बात है, उसे याद नहीं है। घटना के रोज उसकी जीप यासीन मोहम्मद लेने गया था। नोटिस प्रदर्श पी–02 पर ए से बी रिपोर्ट उसकी कलमी रिपोर्ट है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में गवाह ने कथन किया कि उसकी उक्त जीप ड्राइवर चलाते हैं और आज तक कितने ड्राइवर रहे होंगे, उसे जानकारी नहीं है। किस दिन कौनसा ड्राइवर था, यह वह नहीं बता सकता। यह वह नहीं बता सकता कि उक्त घटना के वक्त उसकी गाड़ी कौन चला रहा था। प्रदर्श पी–02 की ए से बी रिपोर्ट उसने पुलिस के कहे अनुसार लिखी थी और उनके कहने से ही हस्ताक्षर किए थे।

11. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाह **पी.डब्ल्यु 03 डॉ. अविनाश चारण** ने अपने मुख्य परीक्षा में साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 20 अगस्त 2014 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सादडी पर कर्तव्य पर उपस्थित था। उसी रोज उसने पुलिस तहरीर पर मजरूबा लालकी निवासी उजाड खेडा का मेडिकल मुआयना कर चोट प्रतिवेदन तैयार किया जो कि प्रदर्श पी. 03 है। प्रदर्श पी. 03 में आई चोटे चोट संख्या 01– कुचला हुआ घाव, लाल रंग के खून के साथ 7 गुणा 2.5 गुणा 1.5 सेमी. दाहिने घुटने पर चोट संख्या 02– दाहिने हाथ पर दर्द की शिकायत चोट संख्या 03– कुचला हुआ घाव 2 गुणा 1 गुणा 1 सेमी. सिर के अग्र भाग पर चोट संख्या 04– रगड लाल रंग 4 गुणा 2.5 सेमी. दाहिने गाल पर चोट संख्या 01 एवं 02 में चोट की प्रकृति उसके द्वारा नहीं दी गई और दोनों चोटों के एक्सरे बाबत उच्च संस्थान हेतु रेफर किया गया। चोट संख्या 03 एवं 04 साधारण प्रकृति की एवं भोटी वस्तु द्वारा आना प्रतीत होती है, वहीं चोट संख्या 01 व 02 भोटी वस्तु द्वारा आना प्रतीत होती है। उसके संस्थान पर प्रदर्श पी. 03 में वर्णित चोट संख्या 1 एवं 02 का एक्सरे नहीं करवाया गया है। उसी रोज उसने पुलिस तहरीर पर मुजरूब देवीलाल निवासी उजाड खेडा का मेडिकल मुआयना कर चोट प्रतिवेदन तैयार किया जो कि प्रदर्श पी. 04 है। मजरूब देवीलाल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपचार हेतु लाया गया। मजरूब के बाह्य रूप से कोई दिखने वाली चोट नहीं थी। मजरूब के तीन से चार बार उल्टी होने की शिकायत कर रहा था। मजरूब देवीलाल के भी प्राथमिक उपचार पश्चात् एक्सरे हेतु एवं उच्च स्तर पर ईलाज हेतु रेफर किया गया था। मजरूब देवीलाल के मेडिकल मुआयना करने पर समस्त व्हाईकल्स परीक्षण के समय नॉर्मल थे। प्रदर्श पी. 03 एवं 04 में अंकित समस्त चोटो की अवधि परीक्षण समय से दो घंटे के भीतर थी।

अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में गवाह ने कथन किया कि चोटों की अवधि परीक्षण समय से दो घंटे के भीतर की है चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी. 03 एवं 04 पर अंकित है। उपरोक्त वर्णित समस्त चोटे सख्त धरातल पर या तेज गति से वाहन के स्लीप हो जाने की वजह से आना संभावित है।

12. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाह **पी.डब्ल्यु 04 मेहबूब** ने अपने मुख्य परीक्षा में साक्ष्य दी है कि कितने साल पहले की बात है, उसे कुछ मालूम नहीं है। उसने तो केवल हस्ताक्षर करवाए थे। सहायक अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर गवाह को पक्षद्रोही घ ोषित करवाया गया। सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई जिरह में गवाह ने कथन किया कि फर्द जब्ती प्रदर्श पी–01 जीप महिंद्रा आरजे 22 यू 0216 पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है, पुलिस ने उसके हस्ताक्षर करवाए थे। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में गवाह ने कथन किया कि प्रदर्श पी–01 में पुलिस ने क्या लिखापढ़ी की, उसे जानकारी नहीं है। न तो उसने प्रदर्श पी–01 की कार्यवाही पढ़ी थी और न पुलिस ने उसे पढ़कर सुनाई थी। उसने तो केवल पुलिसवालों के कहने पर हस्ताक्षर किए थे।

13. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाह **पी.डब्ल्यु 05 प्रकाश** ने अपने मुख्य परीक्षा में साक्ष्य दी है कि दिनांक 24.08.2014 की बात है। उस दिन उसकी माता लालकी देवी व पिता देवीलाल रूणीचा से रानी होते हुए नाडोल जा रहे थे। साथ में दूसरी मोटरसाइकिल पर हमरेरा पुत्र वक्ताजी, ननता पत्नी हरमेरा साथ में चल रहे थे। नाडोल में अणसी बाई मंदिर के पास एक जीप ने पीछे से टक्कर मारी, जिसमें उसके पिताजी व माताजी घायल हो गए, उनके शरीर पर चोटें आई थीं। बाद में उसे फोन पर बताया गया। लोगों ने उसके माता–पिता को उदयपुर अस्पताल में भर्ती करवाया, नाडोल से उदयपुर एंबुलेंस में भेजा था। जीप चालक का नाम मोहम्मद यासीन था जीप के नंबर उसे ध्यान नहीं है। बाद में उसने नाडोल चौकी में घटना की रिपोर्ट दी। जो प्रदर्शपी–05, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने नक्शा मौका प्रदर्श पी–06 मौके पर बनाया, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। फर्द निरीक्षण क्षतिग्रस्त मोटरसाइकिल आरजे 35 ई 4347 है, जो प्रदर्श पी–07 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। फर्द सूरतहाल लाश मृतक देवीलाल व पंचनामा लाश मृतक देवीलाल प्रदर्श पी–08 व पीडब्ल्यू–09 है। फर्द सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी–10 है, जिन सभी पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पोस्टमार्टम नहीं कराने की रिपोर्ट प्रदर्श पी–11 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसके बयान लिए थे। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में गवाह ने कथन किया किउसे घटना की सूचना पांच बजे शाम को मिली थी। उसके पास फोन था। उसे फोन साथ वाले

हमेराराम ने किया था। वह सूचना मिलते ही सीधे उदयपुर पहुंचा। मौके पर नहीं आया था। उसने एक्सीडेंट होते नहीं देखा। वक्त दुर्घटना उसके पिता ने हेलमेट पहना था। उसके पिताजी खड़े थे। वक्त दुर्घटना में दुर्घटना कारित करने वाले वाहन की स्पीड वह नहीं बता सकता। उसे दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के नंबर ध्यान नहीं है। वह मुलजिम को नहीं जानता। उसे ड्राइवर का नाम उसके भाई ने बताया, उसके भाई को किसने बताया, उसे ध्यान नहीं। रिपोर्ट एक्सीडेंट के दो दिन बाद दी थी। तारीख उसे ध्यान नहीं है। रिपोर्ट उसने अपनी मर्जी से लिखी थी। पुलिस वालों ने मौका रिपोर्ट देने के बाद देखा तारीख ध्यान है। उसने दिनांक 12.08.2014 को देखा था। प्रदर्श पी–06 की लिखा पढ़ी, पुलिस ने पढकर सुनाई थी। ज्यादा समय होने से उसे ध्यान नहीं है। पुलिस ने कितनी जगह हस्ताक्षर करवाए, उसे लंबा समय होने से ध्यान नहीं है। प्रदर्श पी–08, 09, 10 में पुलिस ने क्या लिखापढ़ी की, उसे ध्यान नहीं। उसने तो केवल पुलिस वालों कहने पर हस्ताक्षर किए थे। मुकदमा उसने क्लेम के लिए किया। पुलिस ने उसके कोई बयान नहीं लिए।

14. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाह **पी.डब्ल्यु 06 हमेरा** ने अपने मुख्य परीक्षा में साक्ष्य दी है कि आज से करीब 10–12 साल पहले वह रामदेवरा से वापस रानी के रास्ते नाडोल जा रहे थे। वह अपनी मोटरसाईकिल चला रहा था उसके पीछे उसकी पत्नी ननता बैठी थी और दुसरी मोटरसाईकिल पर देवीलाल व लालकी बैठे थे। जीपवाले ने पीछे से देवीलाल की मोटरसाईकिल को टक्कर मारा। जीपवाले ने जीप रोककर उसकी ही जीप में बैठाकर सादडी अस्पताल लेके गया। वह फिर पीछे से पुलिसवालों के साथ सादडी गया। दुर्घटना कारित जीप चालक का नाम व जीप का नंबर उसे ध्यान नहीं है। सहायक अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर उक्त गवाह को पक्षद्रोही घोषित किए गए। पुलिस बयान प्रदर्श पी–11 का ए से बी, सी से डी व ई से एफ भाग उसने पुलिस में लिखाया था। घटना जीपवाले की गलती से हुई थी। बाद में देवीलाल व लालकी देवी को उदयपुर अस्पताल रेफर किया, जहां पर दौराने इलाज देवीलाल की मृत्यु हो गई थी। क्रमशः प्रदर्श पी–08, 09 व 10 पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में गवाह ने कथन किया कि घटना की तारीख व समय उसे याद नहीं। उसे घटना कारित करने वाले जीप चालक का नाम पुलिसवालों ने बताया। वह मुलजिम को नहीं जानता है। वक्त घटना देवीलाल के हेलमेट पहना नहीं था। वह देवीलालजी के आगे चल रहा था। उसके व देवीलालजी के मोटरसाईकिल के बाय लगभग 50 फिट की दूरी थी। पुलिस ने उसके बयान नहीं लिये थे। प्रदर्श पी 08, 09 व

10 में पुलिस ने क्या लिखा–पढी की उसे ध्यान नहीं है उसने तो केवल पुलिस वालों के कहने पर हस्ताक्षर किये। वह घटनास्थल पर ही था तब पुलिस वाले आये थे। एक्सीडेंट नाडोल में अणसी बाई के मंदिर के पहले हुआ था। घटनास्थल वाले रोड पर बहुत भीड थीं। मृतक देवीलालजी उसके सगे काका लगते थे। मृतक देवीलालजी उसके काका लगते थे इसीलिए वह आज ये बयान दे रहा है। उसके पुलिस में बयान नहीं हुये थे। पुलिस ने उसके बयान उनकी मर्जी से लिखे थे।

15. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाह **पी.डब्ल्यु 07 नारायणलाल** ने अपने मुख्य परीक्षा में साक्ष्य दी है कि करीब 12 साल पहले नाडोल में उसके भाई देवीलाल का सडक दुर्घटना से मृत्यु हो गयी थी। पुलिस मौके पर आई थी। नक्शा मौका प्रदर्श पी 6 पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। फर्द निरीक्षण मोटरसाईकिल आरजे 35 एचई 4347 प्रदर्श पी 7 पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने देवीलाल का पंचनामा कार्यवाही की थीं जिसकी फर्द प्रदर्श पी 08, 09, 10 है जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। फर्द सुपुर्दगी मोटरसाईकिल आरजे 35 एचई 4347 जो प्रदर्श पी 12 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में गवाह ने कथन किया कि घटना 12.08.2014 की है। दिनांक 12.08.2014 को पुलिस ने मौका देखा था। घटना दो दिन पहले की है। पुलिसवालों ने जब मौका देखा तब वह दरियार जिला प्रतापगढ़ में था। प्रदर्श पी 07, 08, 09, 10 की कार्यवाही उसने नहीं पढी थी पुलिसवालों ने उसे पढ़कर सुनाई थी। उसने भी पढ़ी थी। पुलिसवालों ने जो लिखा–पढी की वो उसे ध्यान है। पुलिस ने नक्शा मौका प्रदर्श पी 6 मे घटनास्थल को किस मार्क से दर्शाया लंबा समय होने से उसे ध्यान नहीं है। पुलिस ने उसके 2–3 जगह हस्ताक्षर करवाये थे। वह पत्रावली देखकर बता सकता है कि उसने कहां कहां हस्ताक्षर किये थे। प्रदर्श पी 7 पुलिस ने मोटरसाईकिल का निरीक्षण किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। प्रदर्श पी 8 एफआईआर है जिस पर उसके हस्ताक्षर है। प्रदर्श पी 9 पर मौत का कारण लिखा है जिस पर उसके हस्ताक्षर है। प्रदर्श पी 10 पर उसके व उसके भाई की उम्र 58 साल है जिस पर उसके हस्ताक्षर है। एक्सीडेंट में मृतक देवीलाल उसका सगा भाई है। एक्सीडेंट के समय देवीलाल की मोटरसाईकिल के नंबर उसे ध्यान है।

16. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाह **पी.डब्ल्यु 08 मोतीलाल** ने अपने मुख्य परीक्षा में साक्ष्य दी है कि करीब 12 साल पहले नाडोल में उसके भाई देवीलाल का सडक दुर्घटना से मृत्यु हो गयी थीं। पुलिस मौके पर आई थी। नक्शा मौका प्रदर्श पी 6 पर एक्स स्थान पर उसका अंगुठा निशान है। फर्द निरीक्षण मोटरसाईकिल आरजे 35 एचई 4347 प्रदर्श पी

7 पर एक्स स्थान पर उसका अंगुठा निशान है। फर्द सुपुर्दगी मोटरसाईकिल आरजे 35 एचई 4347 जो प्रदर्श पी 12 है जिस पर एक्स स्थान पर उसका अंगुठा निशान है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में गवाह ने कथन किया घटना की तारीख उसे ध्यान नहीं है। पुलिस ने उसका अंगुठा निशान उदयपुर अस्पताल में करवाया था। प्रदर्श पी 07 में पुलिस ने क्या लिखा–पढी की उसे ध्यान नहीं। एक्सीडेंट में देवीलाल की मोटरसाईकिल के नंबर उसे ध्यान नहीं। मृतक देवीलाल उसका सगा भाई लगता था।

17. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाह **पी.डब्ल्यु 09 लालकी देवी** ने अपने मुख्य परीक्षा में साक्ष्य दी है कि घटना कितने साल पहले हुई उसे आज याद नहीं है। वह और उसके पति मोटरसाईकिल से रामदेवरा से नाडोल की तरफ जा रहे थे। मोटरसाईकिल उसके पति देवीलाल चला रहे थे। साथ मे हमेरा पुत्र वक्ताजी भी दूसरी मोटरसाईकिल पर थे। पीछे से जीपवाले ने उनके मोटरसाईकिल के टक्कर मार दी जिससे वह लोग नीचे गिर गये, जिससे उसके व देवीलाल के चोटें लगी। बाद में उनको सादड़ी अस्पताल भर्ती करवाया उसके बाद उदयपुर रेफर किया। जीपवाले का नाम व जीप के नंबर उसे ध्यान नहीं है। वह नीचे गिरते ही बेहोश हो गयी थीं और उसे कुछ ध्यान नहीं। सहायक अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर उक्त गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया। सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई जिरह में गवाह ने पुलिस बयान प्रदर्श पी 13 का ए से बी भाग गवाह ने सही होना बताया व सी से डी भाग मालूम नहीं होना बताया। आगे गवाह ने कथन किया कि दुर्घटना जीप चालक की गलती से हुई थी। जीप चालक का नाम मोहम्मद यासीन हो तो उसे ध्यान नहीं है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में गवाह ने कथन किया कि वक्त घटना मृतक देवीलाल के हेलमेट पहना हुआ नहीं था। उसने दुर्घटना कारित करने वाले जीप चालक को नहीं देखा। उसके पुलिस में कोई बयान नहीं हुए हैं। पुलिसवालों ने उसके बयान उनकी मर्जी से ही लिखे थे। वक्त घटना जीप की स्पीड कितनी थी उसे ध्यान नहीं। वह एक्सीडेंट होते ही बेहोश हो गयी थी, उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ ध्यान नहीं है।

18. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाह **पी.डब्ल्यु 10 ननता** ने अपने मुख्य परीक्षा में साक्ष्य दी है कि घटना करीब 10 साल पहले की है। वे लोग रामदेवरा से मोटरसाईकिल पर वापस आ रहे थे। वह अपने पति हमेरा की मोटरसाईकिल पर बैठी थी उनके साथ देवीलाल व उनकी पत्नी लालकी जा रहे थे। वे नाडोल पहुंचे तब पिछे से एक जीप ने पिछे से देवीलाल के मोटरसाईकिल के टक्कर मारी। हमारी मोटरसाईकिल साईड पर खड़ी थी। टक्कर मारते ही देवीलाल व लालकी देवी नीचे गिरी जिनके चोटें आई। टक्कर

मारने वाले वाहन चालक का नाम व जीप नंबर उसे ध्यान नहीं है। बाद में उनको सादडी अस्पताल पहुंचाया, उसके बाद देवीलाल को उदयपुर रेफर किया गया। जहां पर देवीलाल की मृत्यु हो गयी थीं। सहायक अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर उक्त गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया। सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई जिरह में गवाह ने कथन किया कि पुलिसवालों ने उसके बयान नहीं लिये थे। पुलिस बयान प्रदर्श पी 14 का ए से बी भाग सही है। उदयपुर अस्पताल जीप चालक ही लेकर गया था। जीप चालक का नाम मोहम्मद यासीन हो तो उसे नहीं ध्यान नहीं। सी से डी भाग गवाह ने नहीं मालूम होना बताया। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में गवाह ने कथन किया कि हेलमेट पहना हुआ नहीं था। घटना की तारीख उसे ध्यान नहीं है। उसने दुध ाटना कारित करने वाले जीप चालक को नहीं देखा है। पुलिसवालों ने उसके बयान उनकी मर्जी से ही लिखे थे। उसके पुलिस में कोई बयान नहीं हुए थे। वक्त घटना मृतक देवीलाल की मोटरसाईकिल हमारी मोटरसाईकिल के पीछे चल रही थी। देवीलाल उसके सगा काका लगते है।

19. सुना गया। बहस के दौराने प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचारणीय बिन्दु और बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को के दृष्टिगत पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का न्यायिक दृष्टि से गहनतापूर्वक विचार किया गया। प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 10 गवाहों को परीक्षित करवाया गया है। सर्वप्रथम प्रकरण के परिवादी प्रकाश पीडब्ल्यू–05 की साक्ष्य का अवलोकन करें तो परिवादी द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया गया है कि दिनांक 24.08.2014 को उसकी माता लालकी देवी व पिता देवीलाल रूणेचा से रानी होते हुए नाडोल जा रहे थे, साथ में दूसरे मोटरसाइकिल पर हमेरा, ननता पत्नी हमेरा साथ में चल रहे थे। नाडोल में अणची बाई मंदिर के पास एक जीप ने पीछे से टक्कर मारी, जिससे उसके पिताजी व माताजी घायल हो गए। उनके शरीर पर चोटें आईं। बाद में उसे फोन पर बताया गया। गवाह आगे अपने मुख्य परीक्षण में कथन करता है कि जीप चालक का नाम मोहम्मद यासीन था, जीप के नंबर उसे ध्यान नहीं हैं, वहीं दूसरी तरफ गवाह अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन करता है कि उसे घटना की सूचना पांच बजे शाम को मिली थी, उसे फोन साथ वाले हमेरा राम ने किया था, उसे एक्सीडेंट होते हुए नहीं देखा। गवाह आगे यह भी कथन करता है कि उसने दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के नंबर ध्यान नहीं है, वह मुलजिम को नहीं जानता, उसे ड्राइवर का नाम उसके भाई ने बताया। ऐसे में प्रकरण के परिवादी द्वारा अपनी साक्ष्य में स्पष्ट रूप से यह

कथन किया गया है कि उसने दुर्घटना होते नहीं देखा तथा वह मुलजिम को नहीं जानता है। उक्त गवाह को मुलजिम का नाम उसके भाई द्वारा बताया गया है। प्रकरण में परिवादी द्वारा अपनी हस्तलिखित रिपोर्ट तथा अपने बयानों में वक्त घटना उसकी माता लालकी देवी तथा काका का लड़का हमेरा तथा उसकी पत्नी ननता के उपस्थित होने का कथन किया गया है। ऐसे में उपरोक्त चक्षुदर्शी गवाहों की साक्ष्य प्रकरण में अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकृति की है। प्रकरण में परिवादी की माता लालकी देवी पीडब्ल्यू–09 की साक्ष्य का अवलोकन करें तो गवाह अपनी साक्ष्य में कथन करती है कि जीप वाले का नाम व जीप के नंबर उसे ध्यान नहीं है, वह नीचे गिरते ही बेहोश हो गई थी। उक्त गवाह को अभियोजन पक्ष के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया गया है। सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई जिरह में गवाह स्पष्ट रूप से कथन करती है कि जीप चालक का नाम मोहम्मद यासीन हो तो उसे ध्यान नहीं है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में भी गवाह कथन करती है कि उसने दुर्घटना कारित करने वाले जीप चालक को नहीं देखा, वह एक्सीडेंट होते ही बेहोश हो गई थी, उसके बाद क्या हुआ, उसे ध्यान नहीं है। वहीं प्रकरण के अन्य चक्षुदर्शी गवाह हमेरा पीडब्ल्यू–06 द्वारा अपनी साक्ष्य में कथन किया गया है कि दुर्घटना कारित जीप चालक का नाम व जीप के नंबर उसे ध्यान नहीं है। उक्त गवाह को भी सहायक अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया गया। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में गवाह कथन करता है कि उसे घटना कारित करने वाले जीप के चालक का नाम पुलिस वालों ने बताया था। वहीं गवाह पीडब्ल्यू–10 ननता अपनी साक्ष्य में कथन करती है कि टक्कर मारने वाले वाहन चालक का नाम व जीप नंबर उसे ध्यान नहीं है। उक्त गवाह को भी अभियोजन पक्ष के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया गया है। अभियोजन पक्ष द्वारा की गई जिरह में गवाह द्वारा स्पष्ट रूप से कथन किया गया है कि जीप चालक का नाम मोहम्मद यासीन हो तो उसे ध्यान नहीं है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में गवाह कथन करती है कि दुर्घटना कारित करने वाले जीप चालक को उसने नहीं देखा। इस प्रकार उपरोक्त समस्त प्रत्यक्षदर्शी गवाहों की साक्ष्य से इस तथ्य की पुष्टि नहीं हो पाती है कि वक्त घटना अभियुक्त दुर्घटना कारित वाहन का चालक रहा है।

वहीं प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से वाहन मालिक फिरोज मोहम्मद पीडब्ल्यू–02 को परीक्षित करवाया गया है, जिसकी साक्ष्य का अवलोकन करें तो एक तरफ तो गवाह अपने मुख्य परीक्षण में कथन करता है कि घटना के वक्त उसकी जीप यासीन मोहम्मद लेकर गया था। नोटिस प्रदर्श पी–02 पर उसके हस्ताक्षर है। वहीं

दूसरी तरफ अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में गवाह कथन करता है कि किस दिन कौन–सा ड्राइवर था, वह नहीं बता सकता है। वह यह भी नहीं बता सकता कि घ ाटना के वक्त उसकी गाड़ी कौन चला रहा था। गवाह आगे यह भी कथन करता है कि प्रदर्श पी–02 की रिपोर्ट उसने पुलिस के कहेनुसार लिखी थी और उनके कहने से हस्ताक्षर किए थे। ऐसे में उक्त गवाह, दुर्घटना कारित वाहन के मालिक द्वारा भी अपनी साक्ष्य में अभियुक्त की प्रकरण में संलिप्तता के संबंध में कोई स्पष्ट कथन नहीं किए गए हैं।

वहीं प्रकरण में गवाह नारायणलाल पीडब्ल्यू–07 व मोतीलाल पीडब्ल्यू–08 नक्शा मौका प्रदर्श पी–06 के गवाह हैं। उक्त गवाहों की साक्ष्य का अवलोकन करें तो गवाह नारायणलाल अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन करता है कि पुलिस वालों ने जब मौका देखा तो वह दरियार जिला प्रतापगढ़ में था। वहीं उक्त फर्द का द्वितीय गवाह मोतीलाल पीडब्ल्यू–08 एक तरफ अपने मुख्य परीक्षण में कथन करता है कि नक्शा मौका प्रदर्श पी–06 पर उसका अंगुठा निशान है, वहीं गवाह दूसरी तरफ अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन करता है कि पुलिस ने उसका अंगुठा निशान उदयपुर अस्पताल में करवाया था। प्रकरण का परिवादी प्रकाश उक्त फर्द नक्शा मौका प्रदर्श पी–06 के संबंध में अपनी साक्ष्य में कथन करता है कि पुलिस ने मौका दिनांक 12. 08.2014 को देखा था। वहीं प्रदर्श पी–06 नक्शा मौका के अवलोकन से प्रकट है कि उक्त फर्द दिनांक 24.08.2014 को तैयार की गई है। ऐसे में उपरोक्त गवाहों की साक्ष्य से प्रकरण में उक्त फर्द नक्शा मौका प्रदर्श पी–06 की पुष्टि भी पूर्ण रूप से नहीं हो पाई है।

वहीं प्रकरण में गवाह बाबु मोहम्मद पीडब्ल्यू–01 एवं मेहबूब पीडब्ल्यू–04 फर्द जब्ती दुर्घटनाग्रस्त मोटरसाइकिल प्रदर्श पी–01 के गवाह हैं। उक्त दोनों गवाहों को अभियोजन पक्ष के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया गया व उक्त दोनों गवाहों ने अपनी साक्ष्य में समान रूप से कथन किया है कि प्रदर्श पी–01 में पुलिस ने क्या लिखापढ़ी की, उनकी जानकारी में नहीं है। उन्होंने पुलिस वालों के कहने पर हस्ताक्षर किए थे। इसके अतिरिक्त प्रकरण में गवाह डॉ. अविनाश चारण पीडब्ल्यू–03 द्वारा चोट प्रतिवेदन लालकी प्रदर्श पी–03 व चोट प्रतिवेदन देवीलाल प्रदर्श पी–04 के संबंध में साक्ष्य दी गई है। वहीं गवाह नारायणलाल पीडब्ल्यू–07 फर्द सूरतहाल लाश देवीलाल प्रदर्श पी–08, फर्द पंचनामा लाश प्रदर्श पी–09, फर्द सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी–10 व फर्द सुपुर्दगी मोटरसाइकिल प्रदर्श पी–12 का गवाह है तथा गवाह मोतीलाल पीडब्ल्यू–08 फर्द निरीक्षण मोटरसाइकिल प्रदर्श पी–07 व फर्द सुपुर्दगी मोटरसाइकिल प्रदर्श पी–12 का गवाह है।

चूंकि उपरोक्त महत्वपूर्ण व चक्षुदर्शी गवाहों की साक्ष्य से प्रकरण में अभियुक्त की बतौर चालक पहचान स्थापित नहीं हुई है, ऐसे में शेष गवाहों की साक्ष्य प्रकरण में मात्र औपचारिक प्रकृति की साक्ष्य रह जाती है, जो भी चालक की पहचान स्थापित नहीं करती है तथा अभियोजन कहानी को किसी प्रकार से बल प्रदान नहीं करती है।

इस संबंध में विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया जावे तो माननीय राज उच्च न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक दृष्टांत 2012 (2) सीआरएलआर (राज.) 694 राजस्थान राज्य बनाम कैलाशचंद, 1990 (1) आरएलडब्ल्यू 97 (राज.), संग्राम सिंह बनाम राजस्थान राज्य व 2016 (3) सीआरएलआर (राज.) 1112, भीकाराम बनाम राजस्थान राज्य के मामले में यह स्पष्ट विधि प्रतिपादित की गई है कि यदि वक्त घटना, दुर्घटना कारित करने वाले वाहन चालक के रूप में अभियुक्त की पहचान संदेह से परे प्रमाणित नहीं हो सके तो अभियुक्त को लापरवाही व उपेक्षापूर्ण वाहन चलाकर दुर्घटना कारित करने के मामले में दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त सुस्थापित विधि के प्रकाश में हस्तगत प्रकरण में भी अभियुक्त की वाहन चालक के रूप में पहचान संदेह से परे प्रमाणित नहीं हो पायी है। जहां तक अभियुक्त की लापरवाही व उपेक्षा का प्रश्न है तो चूंकि वक्त दुर्घटना अभियुक्त की वाहन चालक के रूप में पहचान संदेह से परे प्रमाणित नहीं हो पायी है, ऐसे में लापरवाही व उपेक्षा के बिन्दु पर विवेचन व विश्लेषण किये जाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।

20. लिहाजा उक्त गवाहान की साक्ष्य से अभियोजन कहानी की सम्पुष्टि नहीं होने से अभियोजन पक्ष को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है। हस्तगत मामले में पत्रावली पर ऐसी कोई सारभूत साक्ष्य मौजूद नहीं है जिसके आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जा सके। आपराधिक विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि अभियोजन पक्ष को अपना प्रकरण संदेह से परे साबित करना होता है और इसमें यदि लेशमात्र भी संदेह होता है तो इसका फायदा अभियुक्त को जाता है। ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष अभियुक्त पर आरोपित अपराध कि **"क्या अभियुक्त ने दिनांक 20.08.2014 को दोपहर के किसी समय मौजा अणसी मंदिर नाडोल के पास जीप नं. आरजे 22 यू 0216 को तेज गति व लापरवाही से चलाकर सड़क की सही दिशा में खड़े प्रार्थी के पिता व माता को टक्कर मारकर मानव जीवन संकटापित कर उन्हें उपहतियां कारित कीं, जिसके फलस्वरूप प्रार्थी के पिता देवीलाल की मृत्यु कारित हुई?"** पत्रावली पर प्रस्तुत की गई साक्ष्य से संदेह से परे सिद्ध कर पाने में असफल रहा है। परिणामस्वरूप अभियुक्त मोहम्मद यासीन अपराध अंतर्गत धारा 279, 337, 304ए भारतीय दण्ड संहिता में पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में संदेह के लाभ के आधार पर दोषमुक्त घोषित किये जाने योग्य पाया जाता है।

::—आदेश—::

अतः अभियुक्त **मोहम्मद यासीन पुत्र उस्मानजी, निवासी छीपों का बास, थाने के पास, सादड़ी** को अपराध अन्तर्गत धारा 279, 337, 304ए भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त के पूर्व में पेश जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

प्रकरण में जब्तशुदा वाहन जमानतनामा/सुपुर्दगीनामा पर दिया गया है, जो बाद गुजरने मियाद अपील निरस्त समझे जावे।

अभियुक्त धारा 437—ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत 06 माह की अवधि के लिए 10,000/—रुपये अक्षरे दस हजार रूपये की जमानत एवं इसी राशि का मुचलके इस आशय का न्यायालय के समक्ष पेश कर तस्दीक करावे कि जब कभी वह माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा तलब किया जाएगा, तो वह उक्त न्यायालय में उपस्थित हो जाएगा।

(रोज़ी कंसारा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
रानी, पाली

निर्णय मेरे द्वारा आज **दिनांक 19.07.2025** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रोज़ी कंसारा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
रानी, पाली